बिहार सारकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

अधि०सं०– निग / सारा–(एन०एच०)–आरोप–30 / 2022 5510(8), पटना, दिनांक 06/8/26

श्री लोकेश नाथ मिश्र, तत्कालीन प्रभारी कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, जयनगर सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, नवादा, पथ प्रमंडल, नवादा के विरूद्ध राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, जयनगर के पदस्थापन काल में उमगाँव–बासोपट्टी–कलुआही पथ (एन० एच०–227 L) के कि०मी० 0 से 20.50 के IRQP कार्य की स्वीकृति वर्ष 2020–21 में हो जाने तथा मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर) उपभाग के पत्रांक–2245 अनु० दिनांक–24.09.2020 द्वारा निविदा स्वीकृति से संबंधित पत्र के अनुसार कार्य को कार्यादेश निर्गत की तिथि से 10 माह के अन्दर पूर्ण करने तथा अगले 05 वर्षो के लिए इसके रख–रखाव का आदेश के बावजूद दिनांक–24.06.2022 में कार्य सिर्फ अधूरा ही नहीं बल्कि इस सड़क की स्थिति दयनीय थी। इस संबंध में तस्वीर राष्ट्रीय स्तर पर भी वायरल हुआ है। इससे स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रभारी कार्यपालक अभियंता के रूप में श्री मिश्र के द्वारा कार्य में घोर अकर्मण्यता एवं लापरवाही बरती जाने के लिये इन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या–3195(एस) दिनांक–24.06.2022 के द्वारा निलंबित किया गया तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत् विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3601(एस) दिनांक–11.07.2022 द्वारा इनकें विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गई।

2. मुख्य अभियंता–सह–संचालन पदाधिकारी, पथ संधारण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–215 अनु० दिनांक–09.12.2022 द्वारा संचालित अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के तहत् गठित तीनों आरोपों की समेकित रूप से समीक्षा करते हुए आरोप को प्रमाणित पाये जाने का निष्कर्ष दिया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिवेदित किये गये आरोपों के लिए विभागीय समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से सहमत होते हुए श्री मिश्र से विभागीय पत्रांक–3774(एस) अनु०, दिनांक–06.08.2024 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के रूप में लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री मिश्र ने अपने पत्रांक–शून्य, दिनांक–23.09.2024 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित किया, जिसके विभागीय समीक्षोपरांत प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में अधिसूचना संख्या–6259 (एस) दिनांक 11.12.2024 द्वारा निम्नलिखित दण्ड संसूचित किया गया :–

(i) "दो (02) वार्षिक वेतन वृद्धि पर अंसचयात्मक प्रभाव से रोक।"

(ii) निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में नियमानुसार अलग से कारण पृच्छा कर निर्णय लिया जायेगा।

3. श्री मिश्र के निलंबन अवधि दिनांक 24.06.2022 से दिनांक 06.08.2024 तक के विनियमन के संबंध में लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक–6493 (एस) दिनांक 20.12.2024 द्वारा उनसे लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी। श्री मिश्र ने अपने पत्रांक–शून्य, दिनांक 29.12.2025 द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया, जिसमें उनके द्वारा मुख्य रूप से अंकित किया गया है कि अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान प्रत्येक तिथि को उपस्थित रहने, अनुशासनिक कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करने, मुख्यालय में उपस्थिति रहने एवं अन्य किसी आर्थिक लाभ का कार्य नहीं करने का उल्लेख किया गया है।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में उक्त मामले की समीक्षोपरांत पाया गया कि इस मामले मं श्री मिश्र के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें उनके विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित

पाये जाने की स्थिति में उक्त दण्ड अधिरोपित किया गया। इसलिए विभाग द्वारा श्री मिश्र को किया गया निलंबन औचित्यपूर्ण है। अतः श्री मिश्र के निलंबन अवधि के विनियमन से संबंधित पत्रांक–शून्य, दिनांक 29.12.2025 को अस्वीकृत करते हुए उनके निलंबन अवधि दिनांक 24.06.2022 से दिनांक 06.08. 2024 तक को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :–

"श्री लोकेश नाथ मिश्र, तत्कालीन प्रभारी कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, जयनगर सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, नवादा, पथ प्रमंडल, नवादा को उनके निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कुछ भी देय नहीं होगा, किन्तु उक्त अवधि को अन्य प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य अवधि माने जाने के रूप में विनियमित किया जाता है।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– निग/सारा–(एन०एच०)–आरोप–30/2022 पटना, दिनांक..................

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– निग/सारा–(एन०एच०)–आरोप–30/2022 पटना, दिनांक..................

प्रतिलिपिः–उप सचिव, प्रभारी ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (द्वारा आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को इस अधिसूचना को विभागीय Web site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– निग/सारा–(एन०एच०)–आरोप–30/2022 पटना, दिनांक..................

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग/संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर) उपभाग/अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, जयनगर/उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/6/13/14, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना एवं **श्री लोकेश नाथ मिश्र तदेन प्रभारी कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल जयनगर सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, नवादा, पथ प्रमंडल, नवादा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

d:\nigrani section-13&14\ashok kumar\karyalay aadesh 2024 @ adhisuchna.docx

ज्ञापांकः— निग / सारा—(एन०एच०)—आरोप—30 / 2022 पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः— उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

उप सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— निग / सारा—(एन०एच०)—आरोप—30 / 2022 5511 (8) पटना, दिनांक 06/8/26

प्रतिलिपिः— आई०टी०मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

05.8.26

उप सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

05.08.26